



ग्रामीण विकास में वृद्धजनों की भूमिका

डॉ सहदेव सिंह (पीएच. डी.)

डॉ भीमराव आम्बेडकर विठि विठि आगरा

**Paper Received On:** 20 NOV 2024

**Peer Reviewed On:** 24 DEC 2024

**Published On:** 01 JAN 2025

**Abstract**

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ग्रामीण अध्ययनों के प्रति बढ़ती हुई रुचि के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को एक नई दिशा प्राप्त हुई। स्वतंत्रता के कुछ वर्ष पहले महात्मा गांधी ने ‘गाँवों को वापस लाना’ का जो नारा दिया था। उसे साकार करने के लिए भारत सरकार ने ग्रामीण विकास के प्रति अपना ध्यान केंद्रित किया। इस प्रयास के अन्तर्गत ग्रामीण जीवन का अध्ययन करने के लिए न केवल विशेष शोध समितियाँ गठित की गई बल्कि ग्रामों के चतुर्दिक विकास को अपना प्राथमिक लक्ष्य मानते हुए सामुदायिक विकास कार्यक्रम को भी व्यापक स्तर पर लागू किया जाने लगा। योजना आयोग का गठन होने के पश्चात् इसी आयोग से सम्बद्ध एक “कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन” की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य भारत जैसे आर्थिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता से युक्त देश के लिए प्रत्येक क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कराना तथा विभिन्न विकास योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से लागू करना था। भारतीय समाज के पुनर्निर्माण के महत्व को स्वीकार करते हुए भारत के बुद्धिजीवियों का ध्यान ग्रामीण जीवन की ओर आकर्षित हुआ जिसके फलस्वरूप ग्रामीण विकास में व्यापक रुचि ली जाने लगी है। वृद्धजनों की कृषि सेक्टर सम्बन्धी, लघु सिंचाई एवं कृषि विकास, पशु पालन तथा दुग्ध उत्पादन, विविध लघु एवं कूटीर उद्यमों सम्बन्धी कुशलतायें, अगली पीढ़ी को हस्तगत कर, निश्चित ही ग्रामीण विकास में सहयोगी होती हैं, जिनकी कभी गणना नहीं की जाती है।

**पारिभाषिक शब्द:** ग्रामीण सामाजिक संगठन, लघु किसान, सीमान्त किसान

**विश्लेषण, विवेचन एवं निष्कर्ष:** डॉ. देसाई के शब्दों में ‘स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ग्रामीण सामाजिक संगठन, उसकी संरचना, प्रकार्य एवं विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन केवल आवश्यक ही नहीं था अपितु यह अनिवार्य भी हो गया था।’ इस सन्दर्भ में ग्रामीण विकास से सम्बन्धित सरकार के सभी प्रयत्नों से भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। ग्रामीण विकास को समझने के लिए निम्न ग्रामीण इकाइयों को समझना आवश्यक हो जाता है –

**लघु किसान :**ऐसा किसान, जिसके पास 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक भूमि होती है, जिस पर वह परिवार का पालन करता है लघु किसान कहलाता है।

**सीमान्त किसान :**ऐसा किसान जिसके पास 5/3 एकड़ सिंचित अथवा 2.5 एकड़ से कम असिंचित भूमि हो, जो असिंचित हो अथवा किसी प्रकार की जमीन हो, सीमान्त किसान कहलाता है।

**कृषि श्रमिक :** कृषि श्रमिक; एक सामान्य श्रमिक होता है, जो अपनी आय का 50 या 50 से अधिक प्रतिशत, कृषि पर आरीरिक श्रम के विभिन्न कार्य करके (मजदूरी) प्राप्त करता है। कृषि श्रमिक केवल किसी खेत पर उत्पादन करने वाले श्रमिक को ही नहीं कहते, अपितु उस श्रमिक को भी कृषि श्रमिक कहते हैं जो पशुपालन, फलोद्यान, दुग्ध व्यवसाय, मधुमक्खी पालन, मुर्गीपालन, सूअर पालन मत्त्य पालन आदि सहायक व्यवसायों के कार्य करते हैं।

**भूमिहीन श्रमिक** : वह श्रमिक; जिसके पास अपनी कोई निजी भूमि नहीं होती जिससे वह जीविकोपार्जन कर सकें बल्कि दूसरों के खेत या भूमि पर अपनी जीविका निर्वाह करने के लिए आरीरिक श्रम के विभिन्न कार्य करके दैनिक मजदूरी प्राप्त करता है, भूमिहीन श्रमिक कहलाता है।

**ग्रामीण—कारीगर/दस्तकार (रुरल आर्टिसन्स)** : ऐसे व्यक्ति; जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं तथा जिन्हें किसी वस्तु या उपकरण को तैयार (निर्मित) करने का तकनीकी ज्ञान होता है ग्रामीण कारीगर केवल अपने व्यवसाय (दस्तकारी के कार्यों) से अपने परिवार का भरण—पोषण करते हैं। कृषि अथवा अन्य किसी कृषि व्यवसाय में उनका कोई योगदान नहीं होता।

**मुख्य व्यवसाय** : ऐसा व्यवसाय, जिससे 50 प्रतिशत अथवा 50 प्रतिशत से अधिक वार्षिक आय होती है, मुख्य व्यवसाय कहलाता है। वशर्ते उस व्यवसाय से परिवार का गुजारा चलता हो।

**सहायक व्यवसाय** : किसी भी परिवार के मुख्य व्यवसाय के अतिरिक्त, वे अन्य विभिन्न पूरक व्यवसाय, जो पारिवारिक आय वृद्धि में सहायता प्रदान करते हैं, सहायक व्यवसाय कहलाते हैं।

**सहभागिता** : सहभागिता दो शब्दों “सह” तथा “भागिता” का सम्मिलन है। इसका अर्थ है कि एक या एक से अधिक सामाजिक प्राणी कोई कार्य अर्थ पूर्ण ढंग से साथ—साथ कर रहे हैं या किसी क्रिया कलाप में भाग लेते रहे हैं।

ग्रामीण विकास में वृद्धजनों के सहयोग को निम्न उपश्रेणियों में विभाजित किया गया—

- (1) कृषि सेक्टर सम्बन्धी कुशलतायें
- (2) लघु सिंचाई एवं कृषि विकास सम्बन्धी कुशलतायें
- (3) पशु पालन तथा दुर्घट उत्पादन सम्बन्धी कुशलतायें
- (4) विविध लघु एवं कुटीर उद्यमों सम्बन्धी कुशलतायें

वर्तमान समय में भारत में वृद्धावस्था प्रमुख समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रही है। भारत में वृद्धावस्था की सही स्थिति हमें सन् 1978 के समाज कल्याण में स्वामीनाथन सरोजा के एक प्रकाशित लेख में देखने को मिलती है। स्वामीनाथन सरोजा के अनुसार वृद्धों की जिन्दगी और समय; और भी दुखमय (कष्टमय) हो जाते हैं, जब दुर्भाग्य से उनमें चलने—फिरने की शक्ति न रहे या बिस्तर पकड़ ले या उनका देखना, सुनना कम हो जाए और उनकी याददाश्त (स्मरण शक्ति क्षीण हो जाय) कमजोर पड़ जाए। उस समय तो वृद्धावस्था का अभिशाप दुगुना बढ़ जाता है, जब बुढ़ापे में शारीरिक शक्ति और निर्धनता साथ—साथ आ जाएं तो परिस्थितियाँ और भी दुष्कर हो जाती हैं।

आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ संयुक्त परिवार प्रणाली जीवान्त तथा जिंदा है, वहाँ यह सुरक्षा का कार्य किया जा रहा है। परन्तु वर्तमान समय में अनेक परिवर्तनकारी शक्तियों ने संयुक्त परिवार प्रणाली के स्वरूप में परिवर्तन कर इसको एकाकी बना दिया है जिसके कारण आज वृद्ध व्यक्ति अपने को असुरक्षित महसूस करने लगा है। पश्चिमी शिक्षा, औद्योगीकरण, नगरीकरण तथा व्यक्तिवादिता की भावना के कारण वृद्ध अपने को असुरक्षित व असहाय पाते हैं। भारतीय संयुक्त परिवारों में वृद्धों के आदर एवं सम्मान की परम्परा रही है लेकिन यह दुर्भाग्य ही है कि आज भारत में यह परम्परा तेजी के साथ टूटती जा रही है। संयुक्त परिवार के नई पीढ़ी के व्यक्तित्व को विघटित कर पुरानी तथा नयी पीढ़ी दोनों ने बहुत कुछ खोया है। समाज के परिवर्तनशील मूल्य हमारी परम्परा को नष्ट करने के साथ—साथ हमारी संस्कृति की धरोहर को भी नष्ट कर रहे हैं। आज इस आधुनिकतावादी संस्कृति ने वृद्धावस्था में व्यक्ति को पृथकीकरण की समस्या से ग्रसित कर दिया है। आज नई पीढ़ी के लोगों के पास अपने बुजुर्गों/वृद्धजनों से विचार—विमर्श करने, सलाह लेने तथा उनकी इच्छाओं तक को जानने का समय नहीं है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की मनस्थिति की कल्पना सहज ही की जा सकती है जो अपने सारे जीवन की पूँजी को उस नई पीढ़ी के व्यक्तित्व को विघटित कर देता है। प्रायः यह कहा जाता है कि वृद्ध व्यक्ति नई पीढ़ी के साथ समायोजित नहीं कर पाते जिसके कारण उनको अनेक सामाजिक एवं व्यावहारिक

समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जबकि वास्तविकता कुछ और तथा कुछ भिन्न है। मेरी दृष्टि में नई पीढ़ी यदि थोड़ा आदर व सम्मान वृद्धों को दे तो यह समायोजन न करने की स्थिति पैदा ही नहीं होती। पृथकीकरण की समस्या भी इसी कारण से हमें नगरीय परिवेश की तुलना में ग्रामीण अंचलों में ज्यादा देखने को मिलती है।

**तालिका 1:** “क्या व्यवसाय से सम्बन्धित कुशलताओं पर वृद्धजनों के अनुभवों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है?” –

#### निदर्शों के उत्तर

क्रम	निदर्शों के प्रत्युत्तर (अभिमत)	आवृत्तियों	प्रतिशत
1	हाँ	261	87.00
2	उदासीन	33	11.00
3	नहीं	06	02.00
	योग	300	100.00

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका (1) के प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण तथा विवेचन से विदित होता है कि अध्ययन किए गए कुल 300 सूचनादाताओं में से 261(87 प्रतिशत) सूचनादाताओं ने यह स्वीकार किया है कि सकारात्मक प्रभाव पड़ता है; जबकि 33(11 प्रतिशत) सूचनादाताओं ने इस सन्दर्भ में उदासीन अभिमत प्रकट किए हैं; किन्तु मात्र 6(2 प्रतिशत) सूचनादाताओं ने नकारात्मक।

**तालिका (2) :** कुशलताओं पर वृद्धजनों के अनुभवों के प्रभाव; कृषक श्रेणी सापेक्ष अभिमत

क्रम	कृषि तथा वाला प्रभाव	कृषि पर पड़ने कृषक	कृषक श्रेणी सापेक्ष अभिमत (संख्या / प्रतिशत)		
			लघु कृषक	सीमान्त कृषक	उपसीमान्त कृषक (प्रतिशत)
1.	सकारात्मक	100(38.31) (100.00)	144(55.17) (90.57)	11(06.52) (41.46)	261(100.00) (87.00)
2.	उदासीन	--(00.00) (00.00)	13(39.39) (08.18)	20(60.61) (48.78)	33(100.00) (11.00)
3.	नकारात्मक	--(00.00) (00.00)	02(33.33) (01.25)	04(66.67) (09.76)	06(100.00) (02.00)
	समस्त योग (प्रतिशत)	100(33.33) (100.00)	159(53.00) (100.00)	41(13.67) (100.00)	300(100.00) (100.00)

(नोट— कोष्ठकों के अन्तर्गत प्रदर्शित ऑकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं)

वृद्धजनों की कृषि सेक्टर सम्बन्धी, लघु सिंचाई एवं कृषि विकास, पशु पालन तथा दुग्ध उत्पादन, विविध लघु एवं कुटीर उद्यमों सम्बन्धी कुशलतायें, अगली पीढ़ी को हस्तगत कर, निश्चित ही ग्रमीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, जिनकी कभी गणना नहीं की जाती है।

#### संदर्भ

पाठक के पी. : रोल ऑफ आईआरडीपी. इन दि रुरल डबलपमेन्ट ऑफ यू.पी.— ए स्टडी ऑफ मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर 2009, पृ.7

सिंह आर.के.; कृषि तथा ग्रामीण विकास की समस्यायें, मीतल प्रकाशन मथुरा, 2006 पृ.179  
कुरैजा एस.एल., भारतीय गांवों के बदलते परिवृश्य, धर्मयुग, अप्रैल, 11 (अंक) 2007 पृ.30

पान्सियन जे.ए.; नेशनल डबलपमेन्ट : ए सोसियोलाजिकल कन्ट्रीबुशन, दि दाम्यु पब्लिकेशन्स, (प्रा. लिमि.) मारटन न्यूयार्क, 2008 पृ. 106

द्विवेदी के.डी. तथा अन्य; विकास का समाजशास्त्र, समाज विज्ञान समीक्षा, बी.एच.यू., वाराणसी (विश्वविद्यालय प्रकाशन) प्रकाशित शोध लेख 2008 पृ.6

मिश्रा एस.के.; सामाजिक सहयोग: राष्ट्रीय शोध पत्रिका : अन्तर्राष्ट्रीय शोध प्रबन्धन, श्रीष शिक्षण संस्थान, उज्जैन (म.प्र.) 2005:61

ब्रुक फील्ड एच.; इंटर डिपेन्डेन्ट डबलपमेन्ट, मैथ्यून एण्ड कम्पनी लिमिटेड; दि फ्री प्रेस लन्दन, 2005:11-12

सिंह एस.डी. एवं कुलश्रे ठ पी.के.; रोल ऑफ कार्मर्शियल बैंक्स एण्ड कोपरेटिब्स इन फाइनेन्सिंग आई.आर.डी. प्रोग्राम, विवेकानन्द एजूकेशनल सोसायटी, एटा; 2007; वाल्यूम-2, पृ.31 (प्रकाशित शोध पत्र)

सिंह एच.पी.; रोल ऑफ कम्प्यूनिकेशन इन दि रुरल डबलपमेन्ट ऑफ यू.पी. प्रकाशित गोध प्रबन्ध : रिसर्च प्रकाशन जयपुर (राज.) 2009 पृ.5

सक्सैना एच.; कम्प्यूनिकेशन एण्ड रुरल डबलपमेन्ट-ए केस स्टडी इन रुरल राजस्थान, अजन्ता पब्लिसर्स मथुरा, (उ.प्र.) 2008, पृ.37

अस्थाना बी.एन.; (क) रुरल डबलपमेन्ट, इण्डियन जर्नल आफ एग्रीकल्चरल इकोनोमिक्स 2010, वाल्यूम-26, अंक-4

(ख) आई.आर.डी.पी.; कन्सेप्ट एण्ड इम्पलीमेन्टेशन कुर्सक्षेत्र 1985

वाल्यूम 25, (विशेषांक) पृ.15